Spl (NDPS) Case N0. 27/2022 State of C.G. Gov. Vs Dinesh Soni

Witness No. .. **06** ...for.... अभियोजन साक्षी ..Deposition taken the... **06.07.2024** ....day of... **शनिवार** Witness's apparent age. **55 वर्ष**

States on offirmation. **शपथ पूर्वक कथन** my name is .. **ओम प्रकाश परिहार**

W/son of .. **श्री साधराम परिहार** occupation .. **सहायक उपनिरीक्षक**

address. **थाना बांगो, कोरबा जिला-कोरबा छ.ग.**

<u>समय - 11.30 बजे से</u>

01- मैं नवंबर 2021 से फरवरी 2024 तक थाना बालको नगर में सहायक उपनिरीक्षक के पद पर पदस्थ था। वर्तमान में थाना बांगो में सहायक उपनिरीक्षक के पद पर पदस्थ हूं। आज मैं अपने साथ प्रकरण से संबंधित रोजनामचा सान्हा, एफ०एस०एल० वापसी सैम्पल माल एवं एफ०एस०एल० रिपोर्ट मय पावती, केसडायरी लेकर न्यायालय में उपस्थित हुआ हूं।

02- दिनांक 07-10-2022 को मुखबीर के द्वारा थाना आकर सूचना दिया था कि चेकपोस्ट बालको में दिनेश सोनी नामक व्यक्ति अपने पास भारी मात्रा में नशीली टेबलेट विक्रय करने के लिये रखा है, उक्त मुखबीर सूचना को रोजनामचा सान्हा क्र०-23 में इंद्राज किया था जो **मूल रोजनामचा सान्हा प्र.पी.-26 है तथा प्रकरण में संलग्न छायाप्रति प्र.पी.-26C है।**

03- उक्त मुखबीर सूचना के आधार पर मेरे द्वारा आरक्षक 887 सुरेन्द्र पाल कंवर को दो स्वंतत्र साक्षी को कार्यवाही में भाग लेने हेतु कर्तव्य प्रमाण पत्र देकर रवाना किया था। जिसके द्वारा दो स्वंतत्र साक्षी रामनाथ बरेठ एवं कौशल पटेल को लेकर थाना उपस्थित हुआ था। आरक्षक को दिया गया कर्तव्य प्रमाण पत्र **प्र.पी.-27** है जिसके अ से अ भाग पर मेरा हस्ताक्षर है। उक्त आरक्षक की रवानगी को रोजनामचा सान्हा क्र०-24 में इंद्राज किया गया था जो **मूल रोजनामचा सान्हा प्र.पी.-28 है तथा प्रकरण में संलग्न छायाप्रति प्र.पी.-28C है।** उक्त आरक्षक की वापसी को रोजनामचा सान्हा क्र०-25 में इंद्राज किया गया था जो **मूल रोजनामचा सान्हा प्र.पी.-29 है तथा प्रकरण में संलग्न छायाप्रति प्र.पी.-29C है।**

04- उक्त दोनों गवाह थाना उपस्थित होने पर मेरे द्वारा उन्हें मुखबीर सूचना के अवगत

कराते हुये रेड कार्यवाही में बतौर साक्षी भाग लेने हेतु धारा 160 द०प्र०सं० का नोटिस दिया था, जो क्रमशः **प्र.पी.-07 एवं प्र.पी.-22** है जिसके ब से ब भागों मेरा हस्ताक्षर है।

05- गवाह की उपस्थिति में मेरे द्वारा मुखबीर सूचना पंचनामा तैयार किया गया था, मुखबीर सूचना पंचनामा **प्र.पी.-08** है जिसके स से स भाग पर मेरा हस्ताक्षर है। उक्त मुखबीर सूचना को रोजनामचा सान्हा क्र०-26 में इंद्राज किया था जो **मूल रोजनामचा सान्हा प्र.पी.-30 है तथा प्रकरण में संलग्न छायाप्रति प्र.पी.-30C है।**

06- मेरे द्वारा मुखबीर सूचना का डाक के साथ आरक्षक क्र०-755 सुखदेव मुण्डा को नगर पुलिस अधीक्षक कार्यालय कोरबा भेजकर पावती प्राप्त किया था। पावती **प्र.पी.-24** है जिसके अ से अ भाग पर मेरा हस्ताक्षर है। उक्त आरक्षक को दिया गया कर्तव्य प्रमाण पत्र **प्र.पी.-25** है जिसके ब से ब भाग पर मेरा हस्ताक्षर है। उक्त आरक्षक के रवानगी को रोजनामचा सान्हा क्र०-27 में इंद्राज किया गया था जो **मूल रोजनामचा सान्हा प्र.पी.-31 है तथा प्रकरण में संलग्न छायाप्रति प्र.पी.-31C है।** उक्त आरक्षक की वापसी को रोजनामचा सान्हा क्र०-31 है जो **मूल रोजनामचा सान्हा प्र.पी.-32 है तथा प्रकरण में संलग्न छायाप्रति प्र.पी.-32C है।**

07- अग्रिम विवेचना में उच्च अधिकारी के आने में विलंब तथा संदेही को अन्यत्र भागने या नशीली दवाई खपा लेने के दृष्टिकोण को देखते हुये मेरे द्वारा गवाहों की उपस्थिति में वारंट प्राप्त ना कर पाने के कारणों का पंचनामा तैयार किया गया जो **प्र.पी.-09** है जिसके स से स भाग पर मेरा हस्ताक्षर है। जिसे मेरे द्वारा आरक्षक के माध्यम से नगर पुलिस अधीक्षक कार्यालय में जाकर सूचना दिया था। जिसे रोजनामचा सान्हा क्र-28 में इंद्राज किया गया था, **मूल रोजनामचा सान्हा प्र.पी.-33 है तथा प्रकरण में संलग्न छायाप्रति प्र.पी.-33C है।**

08- अग्रिम विवेचना के दौरान मेरे द्वारा मुखबीर सूचना की तस्दीक के लिये हमराह स्टाफ, गवाह एवं विवेचना कीट, लैपटाप, प्रिंटर के साथ पेट्रालिंग वाहन स्कार्पियों क्र० CG12B8898 में रवाना हुये थे। जिसे रोजनामचा सान्हा क्र०-29 में इंद्राज किया गया था जो **मूल रोजनामचा सान्हा प्र.पी.-34 है तथा प्रकरण में संलग्न छायाप्रति प्र.पी.-34C है।**

09- अग्रिम विवेचना के दौरान मुखबीर सूचना के बताये स्थान चेकपोस्टर बालको नगर पर जाकर घेराबंदी किये जो संदेही व्यक्ति मौके पर मिला जिसे नाम पूछने पर वह अपना नाम दिनेश सोनी, पिता स्व० श्री नेता लाल सोनी, साकिन भदरापारा बालको जिला-कोरबा

होना बताया था। जिसे मुखबीर सूचना से अवगत कराते हुये धारा 50 एन.डी.पी.एस. एक्ट का नोटिस देते हुये उसके अधिकारो से अवगत कराया गया जिसमें वे अपनी तलाशी राजपतित्र अधिकारी या मजिस्ट्रेट से करा सकते है। जिसके संबंध में गवाह की उपस्थिति में धारा-50 एन.डी.पी.एस. एक्ट का नोटिस तैयार किया गया था जो प्र.पी.-10 है जिसके स से स भाग पर मेरा हस्ताक्षर है तथा द से द भाग पर संदेही का हस्ताक्षर है।

10- संदेही को धारा 50 एन.डी.पी.एस. एक्ट का नोटिस देने उपरांत मुझसे ही अपनी तलाशी कराने हेतु सहमति दी गयी थी, सहमति पत्र **प्र.पी.-35** है जिसके अ से अ भाग पर संदेही के हस्ताक्षर है। संदेही के अपनी तलाशी के लिये सहमति देने पर संदेही के तलाशी के पूर्व स्वयं, हमराह स्टाफ का तलाशी संदेही को दी गयी थी जिसमें किसी के पास कोई भी संदेहास्पद वस्तु नहीं पायी गयी थी। तदसंबंध में स्वयं एवं स्टाफ की तलाशी पंचनामा गवाहों के समक्ष तैयार की गयी थी जो प्र.पी.-11 है जिसके स से स भाग पर मेरा हस्ताक्षर है तथा द से द भाग पर संदेही के हस्ताक्षर है।

11- अग्रिम विवेचना के दौरान उपस्थित साक्षियों का तलाशी संदेही के द्वारा लिया गया जिसमें साक्षियों के पास कोई भी आपत्तिजनक वस्तु नहीं पायी गयी थी जिसके संबंध में गवाहों के समक्ष तलाशी पंचनामा तैयार किया गया था जो प्र.पी.-12 है जिसके स से स भाग पर मेरा हस्ताक्षर है तथा द से द भाग पर संदेही के हस्ताक्षर है। पेट्रालिंग वाहन की तलाशी संदेही को दी गयी थी। उक्त वाहन में भी किसी प्रकार का आपत्तिजनक वस्तु नहीं पायी गई थी तदसंबंध में पेट्रालिंग वाहन की तलाशी पंचनामा प्र.पी.-13 तैयार किया गया जिसके स से स भाग पर मेरा हस्ताक्षर है तथा द से द भाग पर संदेही के हस्ताक्षर है।

12- अग्रिम विवेचना में गवाह की उपस्थित में संदेही की तलाशी ली गई, उक्त तलाशी में एक सफेद पॉलिथिन जिसका एक तरफ कपड़े वाला टूटा हुआ है, के अंदर एक कागज के डिब्बा में कुछ नशीली टेबलेट नुमा मिला था, जिसके संबंध में आरोपी का तलाशी पंचनामा तैयार किया गया जो प्र.पी.-14 है जिसके स से स भाग पर मेरा हस्ताक्षर है तथा द से द भाग पर संदेही के हस्ताक्षर है।

13- अग्रिम विवेचना में गवाह की उपस्थिति में संदेही की तलाशी में बरामद टेबलेट को पुलिस अपने कब्जे में लिया था तदसंबंध में बरामदगी पंचनामा तैयार किया गया था जो प्र.पी.-15 है जिसके स से स भाग पर मेरा हस्ताक्षर है तथा द से द भाग पर संदेही दिनेश सोनी के हस्ताक्षर है।

14- संदेही के आधिपत्य से बरामद टेबलेट जो अल्फाजोलम टेबलेट आईपी 0.5mg RLAM 0.5 लिखा हुआ है, डिब्बा के अंदर 39 स्ट्रीप प्रत्येक स्ट्रीप में 15 टेबलेट कुल 585 टेबलेट तथा एक प्लास्टिक पारदर्शी पॉलिथिन के अंदर नाईट्रोसम 10 टेबलेट प्रत्येक स्ट्रीप में 10 टेबलेट, एक स्ट्रीप का 04 टेबलेट निकला हुआ है कुल 66 टेबलेट संदेही के आधिपत्य से मिला था। जिसके संबंध में संदेही को कोई अपने पास कोई वैद्य दस्तावेज होने के संबंध में मांग नोटिस धारा 91 द०प्र०सं० के अंतर्गत की गई थी। उक्त नोटिस धारा 91 द०प्र०सं० **प्र.पी.-36** है जिसके अ से अ भाग पर मेरा हस्ताक्षर है तथा ब से ब भाग पर " मेरे पास कोई कागजात नहीं है" का लेख करते हुये संदेही का हस्ताक्षर है तथा द से द भाग पर "एक प्रति प्राप्त किया है", का लेख के साथ संदेही का हस्ताक्षर है।

15- अग्रिम कार्यवाही के दौरान मेरे द्वारा आरोपी के आधिपत्य से बरामद नशीली दवाई को तौल कार्यवाही हेतु तौलकर्ता कृष्ण कुमार सोनी को, जो घटनास्थल से थोड़ी दूर में थे उसे अपने इलेक्ट्रानिक तराजू के साथ तलब किया था, जिसके आने पर मुखबीर सूचना से अवगत कराते हुये अभियुक्त के आधिपत्य से बरामद नशीली पदार्थ को तौल कार्यवाही करने हेतु नोटिस धारा-160 द०प्र०सं० दिया था। उक्त नोटिस प्र.पी.-01 है जिसके ब से ब भाग पर मेरा हस्ताक्षर है।

16- तौलकर्ता के द्वारा अपने इलेक्ट्रानिक तराजू के साथ उपस्थित होने पर गवाहों के समक्ष इलेक्ट्रानिक तराजू का क्षमता 500 ग्राम चालू हालत में सही होना पाया गया जिसके संबंध में तराजू सत्यापन पंचनामा तैयार किया गया जो प्र.पी.-02 है जिसके द से द भाग पर मेरा हस्ताक्षर है तथा इ से इ भाग पर आरोपी के हस्ताक्षर है।

17- अभियुक्त के आधिपत्य से बरामद नशीली टेबलेट को गवाहों के समक्ष तौलकर्ता द्वारा तौला गया जिसमें अल्फाजोलम टेबलेट कुल 585 टेबलेट में से एक टेबलेट का वजन 0.110 mg जिसमें 585X11= 64.35mg तथा नाईट्रोसम-10 कुल 66 टेबलेट में से एक टेबलेट निकाल कर तौल किया गया जो 0.600mg जिसमें 66X16= 39.6mg जो कुल योग 103 ग्राम, 95mg का होना पाया गया जिसके संबंध में नशीली टेबलेट तौल पंचनामा तैयार किया गया था जो प्र.पी.-03 है जिसके द से द भाग पर मेरा हस्ताक्षर है तथा इ से इ भाग पर आरोपी के हस्ताक्षर है।

18- अभियुक्त के आधिपत्य से बरामद अल्फाजोलम टेबलेट कुल 585 टेबलेट से दो स्ट्रीप तथा सात स्ट्रीप नाईट्रोसम-10 के कुल 66 टेबलेट में से दो स्ट्रीप क्रमशः A1 एवं

A2 तथा B1 एवं B2 निकालकर अल्फाजोलम के मूल टेबलेट A से तथा नाइट्रोसम-10 मूल को B से चिंहाकित किया गया तदसंबंध में सैम्पल पंचनामा प्र.पी.-17 तैयार किया गया था जिसके स से स भाग पर मेरा हस्ताक्षर है तथा द से द भाग पर आरोपी के हस्ताक्षर है।

19- अभियुक्त के आधिपत्य से बरामद नशीली टेबलेट को सील पैक करने हेतु सील नमूना गवाहों के समक्ष तैयार किया गया था सील नमूना पंचनामा प्र.पी.-18 है जिसके स से स भाग पर मेरा हस्ताक्षर है तथा द से द भाग पर आरोपी के हस्ताक्षर है।

20- अभियुक्त के आधिपत्य से बरामद नशीली टेबलेट को सीलबंद अवस्था में गवाहों के समक्ष अल्फाजोलम टेबलेट क्रमशः A, A1 एवं A2 तथा नाईट्रोसम-10 टेबलेट क्रमशः B, B1 एवं B2 को विधिवत जप्त कर जप्ती पत्रक तैयार किया गया था। जो प्र.पी.-16 है जिसके स से स भाग पर मेरा हस्ताक्षर है तथा द से द भाग पर आरोपी के हस्ताक्षर है।

21- अभियुक्त के आधिपत्य से अवैध रूप से नशीली टेबलेट बरामदगी के बाद अभियुक्त दिनेश सोनी का माननीय छ०ग० उच्च न्यायालय के द्वारा दिनांक 01-02-2018 को पारित निर्देश के परिपेक्ष्य में आरोपी का छायाचित्र सहित आरोपी का पहचान पंचनामा/प्रतिवेदन तैयार किया गया था जो प्र.पी.-37 है जिसके अ से अ भाग पर मेरा हस्ताक्षर है तथा ब से ब भाग पर अभियुक्त के हस्ताक्षर है।

22- अभियुक्त के आधिपत्य से अवैध रूप से नशीली टेबलेट बरामदगी के बाद अभियुक्त के विरूद्ध धारा 22बी एन.डी.पी.एस. एक्ट के तहत अपराध पाये जाने पर विधिवत गिरफ्तार का गिरफ्तारी पत्रक **प्र.पी.-19** तैयार किया गया था जिसके स से स भाग पर मेरा हस्ताक्षर है तथा द से द भाग पर आरोपी के हस्ताक्षर है।

23- अभियुक्त की गिरफ्तारी की सूचना उसके परिजन को दी गयी थी गिरफ्तारी की सूचना **प्र.पी.-38** है जिसके अ से अ भाग पर मेरा हस्ताक्षर है तथा ब से ब भाग पर परिजन के हस्ताक्षर है। मेरे द्वारा मौके पर ही मौका नक्शा तैयार किया गया जो प्र.पी.-20 है जिसके स से स भाग पर मेरा हस्ताक्षर है।

24- मेरे द्वारा मौके पर ही गवाह कौशल पटेल, रामनाथ बरेठ, सहायक उपनिरीक्षक मोतीलाल डण्डसेना तथा आरक्षक 755 सुखदेव मुण्डा, सहायक उपनिरीक्षक अजय सिंह ठाकूर, आरक्षक 887 सुरेन्द्र पाल कंवर का कथन उनके बताये अनुसार लेखबद्ध किया था मेरे तरफ से कोई भी अंश जोड़ा या छोड़ा नहीं गया है।

25- मौके पर ही मेरे द्वारा अपराध क्र० 0/22 धारा 22बी एन.डी.पी.एस. एक्ट के अंतर्गत देहाती नालसी लेखबद्ध किया था। जो **प्र.पी.-39** है जिसके अ से अ भाग पर मेरा हस्ताक्षर है। मौके पर संपूर्ण कार्यवाही उपरांत मय, माल मुलजिम सहित थाना आकर आमद दिये थे, वापसी को रोजनामचा सान्हा क्र० 32 में इंद्राज किया गया था जो **मूल रोजनामचा सान्हा प्र.पी.-40 है तथा प्रकरण में संलग्न छायाप्रति प्र.पी.-40C है।**

26- मेरे द्वारा थाना में उपस्थित सहायक उपनिरीक्षक के समक्ष जिरो नालसी को प्रथम सूचना पत्र अपराध क्र९ 594/2022 धारा 22ख एन.डी.पी.एस. एक्ट नंबरी कराया था। जो **प्र.पी.-41** है जिसके अ से अ भाग पर मेरा हस्ताक्षर है।

27- मेरे द्वारा अभियुक्त के आधिपत्य से नशीली टेबलेट को जप्ती पत्रक के अनुसार मालखाना के माल मोहर्रीर प्रधान आरक्षक 303 कुलदीप तिवारी को मालखाना में सुरक्षार्थ रखने हेतु सुपुर्दनामा पर देकर पावती प्राप्त किया था। उक्त पावती **प्र.पी.-42** है। जिसके संबंध में रोजनामचा सान्हा क्र०-33 में इंद्राज किया गया था जो **मूल रोजनामचा सान्हा प्र.पी.-43 है तथा प्रकरण में संलग्न छायाप्रति प्र.पी.-43C है।**

28- मेरे द्वारा दिनांक 08-10-2022 को थाना बालको के अपराध क्र 594/2022 धारा 22बी एन.डी.पी.एस. एक्ट में जप्त अल्फाजोलम टेबलेट आईपी 0.5mg rlam 0.5 टेबलेट एवं नाइट्रोसम-10 टेबलेट के संबंध में अभिमत देने हेतु औषधि निरीक्षक कार्यालय खाद्य औषधि प्रशासन कोरबा को मय जप्ती माल सहित पत्र प्रेषित किया था उक्त पत्र प्र.पी.-04 है जिसके ब से ब भाग पर मेरा हस्ताक्षर है।

29- मेरे द्वारा दिनांक 08-10-2022 थाना बालको के अपराध क्र० 594/22 धारा 22बी एन.डी.पी.एस. एक्ट की संपूर्ण कार्यवाही की सूचना श्रीमान नगर पुलिस अधीक्षक कोरबा को पत्र भेजकर पावती प्राप्त की थी। पावती **प्र.पी.-44** है जिसके अ से अ भाग पर मेरा हस्ताक्षर है।

30- मेरे द्वारा दिनांक 10-10-2022 को थाना बालको के अपराध क्र० 594/22 धारा 22बी एन.डी.पी.एस. एक्ट की सूचना माननीय विशेष न्यायाधीश एन.डी.पी.एस. एक्ट कोरबा को देकर पावती प्राप्त की गयी थी।

31- दिनांक 08-11-2022 को पुलिस अधीक्षक कोरबा के माध्यम से थाना बालको के अपराध क्र० 594/22 धारा 22बी एन.डी.पी.एस. एक्ट में जप्त प्रदर्शों का जप्त प्रदर्श A1, A2, B1 एवं B2 का रासायनिक परीक्षण हेतु आरक्षक क्र० 887 सुरेन्द्र पाल कंवर को

क्षेत्रीय न्यायालयिक विज्ञान प्रयोगशाला बिलासपुर भेजकर पावती प्राप्त की गयी थी, पावती **प्र.पी.-45** है। एफ०एस०एल० ड्राफ्ट **प्र.पी.-46** है। एफ०एस०एल० रिपोर्ट **प्र.पी.-47** है।

32- मेरे द्वारा दिनांक 01-12-2022 को थाना बालको के अपराध क्र० 594/22 धारा 22 बी एन.डी.पी.एस. एक्ट के घटनास्थल का पटवारी नक्शा प्रदान करने हेतु तहसीलदार कोरबा को पत्र प्रेषित किया था जो **प्र.पी.-48** है जिसके अ से अ भाग पर मेरा हस्ताक्षर है।

33- साक्षी एफ. एस. एल. जांच उपरांत प्राप्त सैम्पल A1 एवं A2 जो कि ब्राउन पेपर एवं ब्राउन सुतली से बंधा हुआ, सील चपड़ा लगा हुआ है, लेकर उपस्थित हुआ है । जिस पर क्रमशः विवरण इस प्रकार है कि A1 में N/263/22 SP कोरबा PS बालकोनगर अपराध क्र० 594/2022 तथा A2 में N/263/22 SP कोरबा PS बालकोनगर अपराध क्र० 594/2022 तथा B1 में N/263/22 SP कोरबा PS बालकोनगर अपराध क्र० 594/2022 तथा B2 में N/263/22 SP कोरबा PS बालकोनगर अपराध क्र० 594/2022 है, जिसे उभयपक्ष की उपस्थिति में खोला गया है।

34- उक्त A1 को खोलने पर एक सफेद लिफाफे के अंदर एक और सफेद लिफाफे से लिपटा हुआ एक स्ट्रीप अल्फाजोलम टेबलेट जिसमें 15 नग टेबलेट होना पाया गया जिसमें रेपर अधखुला है। उक्त A1 को **आर्टिकल A** से अंकित किया गया।

35- A2 को खोलने पर एक सफेद लिफाफे के अंदर एक और सफेद लिफाफे से लिपटा हुआ एक स्ट्रीप अल्फाजोलम टेबलेट जिसमें 15 नग टेबलेट होना पाया गया जिसमें रेपर अधखुला है। उक्त A2 को **आर्टिकल B** से अंकित किया गया।

36- उक्त B1 को खोलने पर एक सफेद लिफाफे के अंदर एक पीले रंग के लिफाफे में लिपटा एक स्ट्रीप नाइट्रोसम-10 टेबलेट जिसमें 10 नग टेबलेट होना पाया गया जिसमें रेपर अधखुला है। उक्त B1 को **आर्टिकल C** से अंकित किया गया।

37- उक्त B2 को खोलने पर एक सफेद लिफाफे के अंदर एक पीले रंग के लिफाफे में लिपटा एक स्ट्रीप नाइट्रोसम-10 टेबलेट जिसमें 10 नग टेबलेट होना पाया गया जिसमें रेपर अधखुला है। उक्त B2 को **आर्टिकल D** से अंकित किया गया।

38- विवेचना पूर्ण होने पर मेरे द्वारा माननीय न्यायालय में अभियोग पत्र पेश किया गया था जो **प्र.पी.-49** है जिसके अ से अ भाग पर मेरे हस्ताक्षर है।

समय 02.00 बजे।

नोटः- चायकाल होने के कारण साक्षी का शेष मुख्य परीक्षण चायकाल तक के लिये स्थगित किया जाता है ।

साक्षी को बयान पढ़कर सुनाये जाने
पर उसने सही होना स्वीकार किया। मेरे निर्देशन पर टंकित।

सही / –	सही / –
(गरिमा शर्मा)	(गरिमा शर्मा)
विशेष न्यायाधीश (एन.डी.पी.एस.)	विशेष न्यायाधीश (एन.डी.पी.एस.)
कोरबा (छ0ग0)	कोरबा (छ0ग0)

नोट :- चायकाल के पश्चात साक्षी ओम प्रकाश परिहार (अ.सा.06) उपस्थित साक्षी को पुनः शपथ दिलाकर उसका प्रतिपरीक्षण प्रारंभ किया गया।

समय-03.00 बजे।

-: **प्रतिपरीक्षण** द्वारा **श्री हारून सईद डिप्टी चीफ लीगल डिफेंस वास्ते अभियुक्त** :-

39- मुझे मुखबीर से सूचना दिनांक 07-10-2022 को 17.10 बजे प्राप्त हुई थी। घटनास्थल पर मेरे अलावा 07 लोग गये थे। यह कहना सही है कि मेरे द्वारा जो गवाह कौशल पटेल तथा रामनाथ बरेठ जो प्रकरण के गवाह है, को अपने थाने से बैठकर नामजद नोटिस जारी किया गया था जो प्र.पी.-07 व प्र.पी.-22 है।

40- यह कहना सही है कि मेरे द्वारा कोई दो स्वतंत्र गवाह के नाम ना डालकर नामजद रामनाथ बरेठ तथा कौशल पटेल को थाने में बुलाने हेतु नामजद नोटिस जारी किया था। यह कहना गलत है, कि दोनों गवाह ग्राम बेलाकछार में बैठे रहेंगे और मेरे गवाह बन जायेंगे इसलिये मैंने उन्हें नामजद नोटिस थाने में तलब करने हेतु भेजा था।

41- यह कहना सही है कि रामनाथ बरेठ तथा कौशल पटेल बहुत सारे मामलों में बालको थाने द्वारा बनाये गये है। स्वतः कहा उस समय मुझे जानकारी नहीं थी कि रामनाथ बरेठ तथा कौशल पटेल अन्य मामले में गवाह रहते थे।

42- यह कहना सही है कि जब हम लोग रेड कार्यवाही करने गये तब उस समय अभियुक्त किस साधन में था उसका उल्लेख नहीं है । यह कहना सही है कि जो मेरे द्वारा वस्तु जप्त होने के संबंध में बताया गया है वह किस जगह से जप्त किया गया है उसका उल्लेख नहीं है। स्वतः कहा कि अपने कब्जे में रखा था। यह कहना सही है कि आरोपी उक्त

वस्तु को हाथ में रखा था, का उल्लेख रोजनामचा सान्हा में नहीं है।

43- यह कहना सही है कि आरक्षक सुरेन्द्र पाल कंवर नोटिस तामिल करने किस साधन से बेलाकछार गया था उसका उल्लेख रोजनामचा सान्हा में नहीं है। यह कहना सही है कि नोटिस तामिल के पश्चात जो दो गवाह आये वह किस साधन से आये थे उसका उल्लेख रोजनामचा सान्हा में नहीं है। यह कहना सही है कि जिस वाहन स्कार्पियों से हम लोग थाने से मौका स्थल पर गये उस वाहन को कौन चला रहा था उसका उल्लेख रोजनामचा सान्हा में नहीं है।

44- मुझे इस बात की जानकारी नहीं है कि थाने में ठेके में पुलिस कार्य को संचालन करने हेतु गाड़िया चलती है। मुझे इस बात की जानकारी नहीं है कि जिस गाड़ी में हम लोग गये थे वह शासकीय गाड़ी है या प्राइवेट। यह कहना सही है कि जिस स्कार्पियों क्र० CG12B8898 से हम लोग मौका स्थल पर गये थे, वह प्राइवेट वाहन है। यह कहना सही है कि वाहन स्कार्पियों के स्वामी का उल्लेख रोजनामचा सान्हा में नहीं है।

45- मुझे इस बात की जानकारी नहीं है कि कोई प्राइवेट वाहन किसी विभाग में या थाने में चलती है तो उसे टैक्सी परमिट परिवहन कार्यालय से लेना पड़ता है। यह कहना सही है कि रोजनामचा सान्हा में टैक्सी परमिट का उल्लेख नहीं है। यह कहना गलत है, कि हम लोग उक्त स्कार्पियों से नहीं गये थे इसलिये टैक्सी के बारे में जानकारी नहीं है।

46- हमारे साथ आरक्षक 653 लक्ष्मी नारायण ध्रुव कम्प्यूटर ऑपरेटर गया था। यह कहना सही है कि घटनास्थल सार्वजनिक जगह है किसी का घर या दुकान नहीं है। यह कहना सही है कि कम्प्यूटर चलाने के लिये बिजली की आवश्यकता पड़ती है । स्वतः कहा कि आस-पास के दुकान में बिजली उपलब्ध है।

47- यह कहना सही है कि प्र.पी.-10 में मेरे समक्ष अभियुक्त तलाशी करवा सकता है, का उल्लेख नहीं है। यह कहना सही है कि अभियुक्त के द्वारा जो सहमति दिया गया जो प्र.पी.-35 है, किसके समक्ष तलाशी करा सकता है, का उल्लेख नहीं है।

48- यह कहना सही है कि मुझे मादक पदार्थ के संबंध में कोई प्रशिक्षण या ट्रेनिंग नहीं दिया गया है। यह कहना सही है कि मेरे द्वारा बगैर एक्सपर्ट से सलाह लिये दवाईयों के पहले नशीला शब्द का प्रयोग किया गया है। स्वतः कहा कि नाइट्रोसम नशीला होता है इसलिये हमने नशीला शब्द का प्रयोग किया । मुझे इस बात की जानकारी नहीं है कि उक्त

दोनों दवाई में कितना प्रतिशत नशा होता है। स्वतः कहा कि प्रचलित शब्द होने के कारण मैने नशीले शब्द का उल्लेख किया हूं।

49- यह कहना सही है कि इस प्रकरण में घटनास्थल के आसपास के व्यक्तियों को मैंने गवाह के रूप में नहीं बनाया और न ही प्र.पी.-20 में उनका उल्लेख है। यह कहना सही है कि नजरी नक्शा प्र.पी.-20 में दुकानों और मकानों की दुरियां नहीं लिखी है। यह कहना सही है कि दुकानों और मकानों का साईज नहीं है।

50- यह कहना गलत है, कि मैं मौका स्थल पर नहीं गया था और थाने में बैठकर फर्जी तरीके से नजरी नक्शा तैयार किया हूं। यह कहना सही है कि इलेक्ट्रानिक तौल मशीन के भौतिक सत्यापन के संबंध में मैंने कोई ट्रेनिंग या सर्टिफिकेट नहीं लिया है। यह कहना सही है कि इलेक्ट्रानिक तराजू का बंद चालू करने के पश्चात उसके स्क्रीन पर क्या दिखता है , का उल्लेख नहीं है। स्वतः कहा कि कृष्ण कुमार सोनी ने तराजू को बंद चालू करके गवाहों के समक्ष दिखाया था। यह कहना सही है कि तौलकर्ता अपने साथ किसी भी ग्राम का बाट या बटखरा नहीं रखा था, जिससे बाट के वजन से इलेक्ट्रानिक तराजू का सत्यापन हो सके। यह कहना सही है कि मैंने इलेक्ट्रानिक तराजू में जो नामतौल विभाग द्वारा सील लगाया जाता है। स्वतः कहा कि तौलकर्ता के द्वारा दिखाया गया था । यह कहना सही है कि तराजू में सत्यापन जारी दिनांक को व उसकी वैद्यता तथा जारी विभाग कार्यालय का उल्लेख नहीं है। यह कहना गलत है, कि मेरे द्वारा इलेक्ट्रानिक तौल मशीन को मौके स्थल पर नहीं मंगाया था।

51- यह कहना सही है कि सैम्पल पंचनामा में नमूना सील अंकित नहीं है। स्वतः कहा कि नमूना सील का पंचनामा पृथक से बनाया है।

52- यह कहना सही है कि संपत्ति जप्ती पत्रक प्र.पी.-16 में सील नमूना नहीं लगा है। यह कहना गलत है, कि प्र.पी.-16 से संबंधित संपत्ति की जप्ती मेरे द्वारा नहीं की गई इसलिये जप्ती पत्रक में कोई सील नमूना नहीं लगाया गया है।

53- यह कहना सही है कि गिरफ्तारी पत्रक पर गिरफ्तारी स्थान भदरापारा चेकपोस्ट के कोई गवाह नहीं है। यह कहना गलत है, कि अभियुक्त के विरूद्ध झूठा मामला बनाकर गिरफ्तार किया गया है।

54- यह कहना सही है कि प्र.पी.-37 आरोपी का पहचान पंचनामा में किसी भी गवाह

के नाम हस्ताक्षर नहीं है।

55- यह कहना गलत है, कि मैंने प्र.पी.-42 बनावटी ढंग से तैयार किया हूँ इसलिये मालखाना रजिस्टर में माल प्राप्त करने वाले का हस्ताक्षर नहीं है। यह कहना सही है कि प्र.पी.-42 में मेरे हस्ताक्षर नहीं है।

56- यह कहना गलत है, कि मुझे कोई मुखबीर से सूचना प्राप्त नहीं हुई थी। यह कहना गलत है, कि मैं मौका स्थल पर नहीं गया था। यह कहना गलत है, कि प्र.पी.-47 से संबंधित सैम्पल को मैंने एफ०एस०एल० नहीं भेजा हुं। यह कहना गलत है, कि इसलिये एफ०एस०एल० में उस संपत्ति निकालकर भेजे जाने के तारीख का उल्लेख नहीं है।

57- यह कहना गलत है, कि मैंने अभियुक्त के विरूद्ध झूठा मामला तैयार कर उसे मामले में संलिप्त किया हूं। यह कहना गलत है, कि अभियुक्त से कोई सामान की जप्ती नहीं हुई है। यह कहना गलत है, कि मैं राजपतित्र अधिकारी नहीं होने के बावजुद धारा 50 एन.डी.पी.एस. एक्ट का दस्तावेज तैयार किया हूं। यह कहना गलत है, कि मैंने अभियुक्त के विरूद्ध बनावटी दस्तावेज तैयार कर सभी गवाहो का हस्ताक्षर ले लिया हूं।

<u>समय 04.30 बजे तक।</u>

साक्षी को बयान पढ़कर सुनाये जाने पर उसने सही होना स्वीकार किया।

मेरे निर्देशन पर टंकित

सही / –
(गरिमा शर्मा)
विशेष न्यायाधीश (एन.डी.पी.एस.)
कोरबा (छ0ग0)

सही / –
(गरिमा शर्मा)
विशेष न्यायाधीश (एन.डी.पी.एस.)
कोरबा (छ0ग0)